कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/33660/20218/2852 भोपाल, दिनांक 17/8/22

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– **वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगंवा ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्र. पी.एफ.–870 के रकबा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का आन लाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/33660/2010**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. / 6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 25 / 06 / 2022

---0---

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र. / 6-MPC 066/2018-BHO/ दिनांक 25 / 06 / 2022 से 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
i	Compliance status of approval dated 21/07/2009 shall be submitted before sending the file to the Ministry for necessary action.	भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्र दिनांक 21 / 07 / 2009 में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन आवश्यक अभिलेखों सहित संलग्न प्रस्तुत है।
ii	De—novo Site Inspection Report of concerned DFO w.r.t. status of violation under FCA, 1980 needs to be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा पत्र दिनांक 05 / 08 / 2022 से आवेदित वनक्षेत्र का दिनांक 02 / 08 / 2022 को संयुक्त रूप से किये गये स्थल निरीक्षण की निरीक्षण टीप प्रस्तुत की गई है जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस खदान की लीज दिनांक 18 / 12 / 2012 तक थी। उक्त लीज अवधि समाप्त होने के बाद लीज क्षेत्र में उत्खनन, परिवहन कार्य पूर्ण रूप से बन्द पाया गया है। उक्त लीज क्षेत्र वन विभाग के अधिपत्य में है। लीज क्षेत्र में दिनांक 18 / 12 / 2012 तक पिट क्रमांक 01 में रकबा 0.230 हेक्टेयर , पिट क्रमांक 02 में रकबा 0.475 हे. कुल 0.705 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर 0.303 हेक्टेयर की रोड कुल रकबा 1.008 हेक्टेयर में उत्खनन कार्य एवं निकासी मार्ग का कार्य किया गया है। उत्खनित क्षेत्र में आवेदक द्वारा मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण कराया गया है। वर्तमान में उपरोक्त खदान पूर्ण रूप से बन्द है। आवेदक द्वारा उक्त क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः वन मंडल अधिकारी, सतना के पत्र दिनांक 05/08/2022 की प्रति आवश्यक अभिलेखों सहित संलग्न प्रेषित कर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

17/8/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–1/ FP/MP/MIN/33660/20218/2853 भोपाल, दिनांक 17/8/22

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य वन संरक्षक, रींवा वृत्त, रींवा, मध्यप्रदेश

2 वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सतना मध्य प्रदेश

3 श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा, जिला सतना मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित

17/8/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

(मुख्त्यारगंज रेल्वे फाटक के पास सिबिल लाईन सतना)

E-mail-dfotsatna@mp.gov.in Phone- 07672-223355

क्रमांक /मा0चि0/ 6111 सतना, दिनांक /5/8 /2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय– वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्रमांक पीएफ–870 के रकवा 4.600 हेक्टेयर वन भूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/33660/2018

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/2310 दिनांक 29.06.2022।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC 066/2018-BHO दिनांक 25-06-2022 से प्रकरण में 02 विन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.06.2022 द्वारा चही गई जानकारी निम्नानुसार है–

1. बिन्दु क्रमांक 01 के पालन में भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्र दिनांक 21.07.2009 में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवश्यक अभिलेखों सहित टेबुलर फार्म में तैयार कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे दो प्रतियों में संलग्न कर आपकी ओर अवलोकनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
2. बिन्दु क्रमांक 2 के पालन में आवेदित क्षेत्र का मौका स्थल निरीक्षण किया जाकर स्थल निरीक्षण टीप संलग्न कर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(विपिन कुमार पटेल)
भा0व0से0
वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

पृष्ठांकन क्रमांक/मा0चि0/6112 सतना, दिनांक/5/8/2022

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वनसंरक्षक, रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
2. श्री शरद कुमार बंसल, मु0पो0 जैतवारा, जिला सतना, की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

वन परिक्षेत्र मझगवां, बीट पिपरीटोला, वन कक्ष कमांक पी–870 वन भूमि रकवा 4.600 हेक्टेयर आवेदक श्री शरद कुमार बंसल के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण टीप

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र कमांक/2310 दिनांक 29.06.2022 में उल्लेखित बिन्दु कमांक–02 के परिपेक्ष्य में वन परिक्षेत्र मझगवां, बीट पिपरीटोला, वन कक्ष कमांक पी–870 वन भूमि उत्खनि नवीनीकरण हेतु रकवा 4.600 हेक्टेयर का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा उपवनमण्डल अधिकाकरी, चित्रकूट, वन परिक्षेत्र अधिकारी, मझगवां एवं आवेदक श्री शरद कुमार बंसल निवासी जैतवारा तथा अन्य वन अमले की उपस्थित में दिनांक 02.08.2022 को किया गया, जो ओपन कास्ट पद्धति से ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन लीज दिनांक 18.12.2012 तक थी। उक्त लीज अवधि समाप्त होने के बाद लीज क्षेत्र मे उत्खनन, परिवहन कार्य पूर्ण रूप से बन्द पाया गया है। उक्त लीज क्षेत्र वन विभाग के अधिपत्य में है। लीज क्षेत्र में दिनांक 18.12.2012 तक **पिट कमांक 01 में रकवा 0.230 हे0, पिट कमांक 02 में रकवा 0.475 हे0 कुल 0.705 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर 0.303 हे0 की रोड कुल रकवा 1.008 हे0** में उत्खनन कार्य एवं निकासी मार्ग का कार्य किया गया है। उत्खनित क्षेत्र में आवेदक द्वारा मिश्रित प्राजाति के पौधों का रोपण कराया गया है। वर्तमान में उपरोक्त खदान पूर्ण रूप से बन्द है। आवेदक द्वारा उक्त क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

Patel

(विपिन कुमार पटेल)
भा0व0से0
वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

E:\Shiv kishor\D.M 17-10-2013\Memo 2012, 2013, 2014, 2015\Memo 2022.docx340

Latitude: 24°50'46"
Longitude: 80°55'13"
Elevation: 376.14±8 m
Accuracy: 10.9 m
Time: 08-02-2022 16:14
Note: p 870 mining area pit no 2
Powered by NoteCam

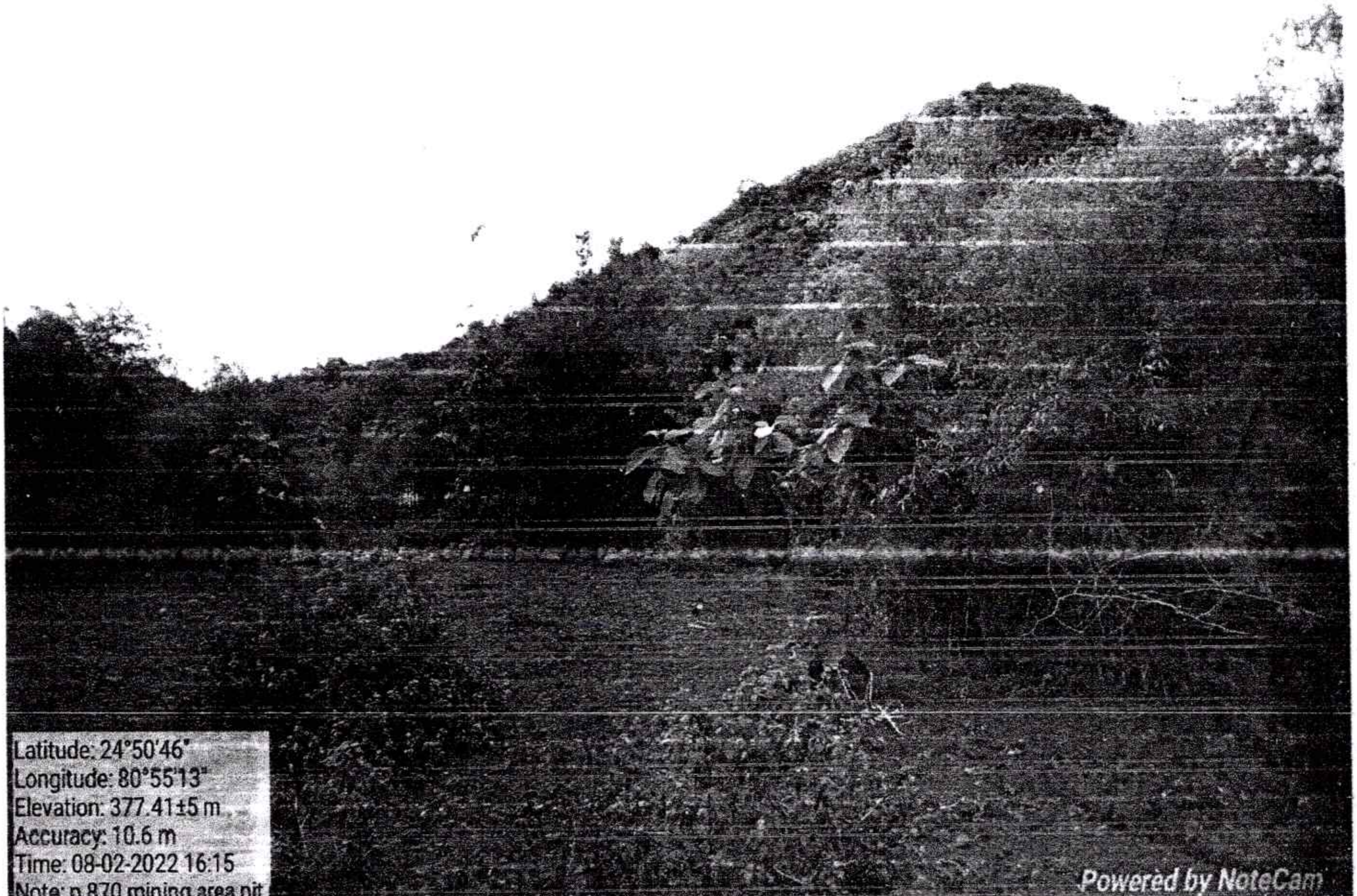
Latitude: 24°50'46"
Longitude: 80°55'13"
Elevation: 377.41±5 m
Accuracy: 10.6 m
Time: 08-02-2022 16:15
Note: p 870 mining area pit
Powered by NoteCam

Latitude: 24°50'46"
Longitude: 80°55'6"
Elevation: 358.6±7 m
Accuracy: 22.2 m
Time: 08-02-2022 16:05
Note: p 870 mining area road
Powered by NoteCam

Latitude: 24°50'45"
Longitude: 80°55'7"
Elevation: 370.79±11 m
Accuracy: 18.9 m
Time: 08-02-2022 16:05
Note: p 870 mining area road
Powered by NoteCam

दिनांक : 05/07/2022

प्रेषक – शरद कुमार बंसल

पो. जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.)

प्रति,

श्री मान वन मंडल अधिकारी

सामान्य वन मंडल सतना (म.प्र.)

विषय - वन मंडल सतना के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्र. पी एफ 870 के रकवा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का ऑनलाइन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/33660/2018.

सन्दर्भ- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुरा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्र. एफ-1/ FP/MP/MIN/33660/2018/2311 दिनांक 29/06/22.

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार संदर्भित पत्र द्वारा प्रार्थी से चाही गई जानकारी भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृत पत्र दिनांक 21/07/2009 में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन तेबुलर फार्म में तैयार कर आवश्यक अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में संलग्न प्रस्तुत है |

अतः अनुरोध है कि उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुरा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल को भेजने की कृपा करें |

संलग्न – उपरोक्तानुसार - 3 प्रतियों में

प्रतिलिपि – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुरा भवन भोपाल (म.प्र.)

भवदीय

शरद कुमार बंसल

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र दिनांक 21-07-2009 में अधिरोपित की गई शर्तें एवं म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र दि. 10/08/2009 में रोपित शर्तें

क्रं.		भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तें	शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही
1.		वन भूमि का वैधानिक स्वरुप अपरिवर्तित रहेगा |	उपयोगकर्ता द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है | संलग्न प्रपत्र -1
2.	अ	वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर सतना जिले के रघुराजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम नयागांव के खसरा न. 96/1(पार्ट में) समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा |	उपयोगकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रुपये 130024/- बैंकर चेक न. 772321 दिनांक 20.06.2000 भारतीय स्टेट बैंक का वन विभाग के मद में जमा किया गया है | शेष अग्रिम कार्यवाही वन विभाग से संबधित है | संलग्न प्रपत्र - 2
	ब	इस गैर वन भूमि को आरक्षित वन घोषित किया जाएगा |	दिनांक 17.02.2003 से म.प्र. राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है | (छायाप्रति संलग्न है) प्रपत्र - 3
	स	इस गैर वन भूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा - 4 के अंतर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति यह वन भूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी |	उक्त कार्यवाही वन विभाग से संबंधित है |
3.		उपयोगकर्ता के खर्च पर भूमि पर क्रम संख्या, वियरिंग, और खम्भे की दूरी सहित आर.सी.सी. खम्बों (उचांई 4 फिट) का प्रयोग करते हुए खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा |	दिनांक 19.09.2009 को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा सीमांकन किया गया एवं प्रतिवेदन पंचनामा भेजा गया है | संलग्न प्रपत्र - 4
4.		वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर समतलीकरण किया जाएगा | खनन एक तरफ से एक भाग से दुसरे भाग की ओर व्यवस्थित तरीके से किया जावेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाए वहां पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जाएगा तथा उसका Reclamation किया जाएगा |	समतलीकरण हेतु उपयोग कर्ता द्वारा राशि 80000/- उपलब्ध करा दी गई है | वन विभाग के मद में 16.03.2003 को जमा की जा चुकी है | अग्रिम कार्यवाही वन विभाग से संबंधित है | संलग्न प्रपत्र - 5
5.		खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी |	म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक - 3-114/95/12/2 दिनांक 18.06.2003 द्वारा खनिजपट्टा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है जिसकी अवधि दिनांक 01.09.2004 से 31.08.2014 तक थी | संलग्न प्रपत्र - 6 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शुध्दि पत्र क्र. 8C/5/435/1997-FCW/47 दिनांक 06.01.2010 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया की खनिपट्टा की अवधि 10 वर्ष दिनांक 19.12.2002 से 18.12.2012 तक होगी |

Basu 05/07/2022

		अतः खदान दिनांक 18.12.2012 से वन विभाग के अधिपत्त में है । प्रपत्र - 7
6.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जाएगा ।	उपयोगकर्ता द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत है । संलग्न प्रपत्र - 1
7.	प्रत्यावर्तित वन भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा ।	उपयोगकर्ता द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत है । संलग्न प्रपत्र - 1

म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल का पत्र क्र.1948/1693/09/10-3 दि. 10/08/2009 में रोपित शर्तें – संलग्न प्रपत्र – 8		
	अधिरोपित शर्तें	शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही
8	1. स्वीकृत खदान के आसपास के 2 किमी. की परिधि के वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा। यदि आसपास के 2 किमी. के वन क्षेत्र की परिधि में अवैध उत्खनन होता है, तो उत्खनन की सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिज अधिकारी तथा वन मंडलाधिकारी को तत्काल लिखित में की जावेगी, अन्यथा राज्य शासन द्वारा विधिवत कार्यवाही की जावेगी।	उपयोगकर्ता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत है। संलग्न प्रपत्र - 1
	2. आवेदक संस्थान से यह लिखित वचन पत्र लिया जावे कि भारत/राज्य शासन द्वारा उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है, तो वह उन्हें मान्य होगी।	उपयोगकर्ता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत है। संलग्न प्रपत्र - 1

05/07/2022

प्रपत्र - 1

प्रेषक – शरद कुमार बंसल
पो. – जैतवारा
जिला – सतना (म.प्र.)

दिनांक – 20 SEP 2009

प्रति,

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र मझगवां
जिला – सतना (म.प्र.)

विषय सतना जिले मे ग्राम पिपरी टोला कक्ष क्र. 203 पी. मे 8.00 हे. वन भूमि मे से संशोधित स्वीकृत रकवा 4.60 हे. क्षेत्र में लेटराइट , व्हाइट क्ले व ओकर के उत्खनन हेतु वनभूमि को उपयोग मे देने बावत्।

संदर्भ **वन मंडलाधिकारी सतना का पत्र क्र. मा. चि./7947 दिनांक 15.09.2009।**

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य मे भारत सरकार एवं म.प्र. राज्य शासन द्वारा अधिरोपित शर्तों के पालन मे जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है –

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तें एवं पालन प्रतिवेदन –

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरुप अपरिवर्तित रहेगा ।

उपयोगकर्ता द्वारा वचन पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है। संशोधित स्वीकृति के पश्चात पुनः संप्रेषित है।

2. अ – वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर सतना जिले के रघुराजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम नयागांव के खसरा नं. 96/1 (पार्ट मे) समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा।

उपयोगकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रूपए 1,30,024/ बैंकर चेक नं. 772321 दिनांक 20.06.00 भारतीय स्टेट बैंक का वन विभाग के मद मे जमा किया गया है। शेष अग्रिम कार्यवाही वन विभाग से संबंधित है।

2. ब – इस गैर वन भूमि को आरक्षित वन घोषित किया जाएगा ।

दिनांक 17.02.2003 से म.प्र. राजपत्र मे अधिसूचित किया जा चुका है। (छायाप्रति संलग्न है)

2. स – इस गैर वन भूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा – 4 के अन्तर्गत सारी मूल अधिसूचना की एक प्रति यह वन भूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

--- P.T.O.

[redacted] [redacted]

उक्त कार्यवाही वन विभाग से संबंधित है।

3. उपयोगकर्ता के खर्च पर भूमि पर क्रम संख्या , वियरिंग , और खम्भे की दूरी सहित आर. सी. सी. खम्बों (उचांई 4 फिट) का प्रयोग करते हुए खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा ।

दिनांक 19.09.2009 को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा सीमांकन किया गया एवं प्रतिवेदन पंचनामा भेजा गया है।

4. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर समतलीकरण किया जाएगा । खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की ओर ब्यवस्थित तरीके किया जावेगा तथा जिस किसी भाग मे उत्खनन पूर्ण हो जाए वहां पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जाएगा तथा उसका Reclamation किया जाएगा ।

समतलीकरण हेतु उपयोग कर्ता द्वारा राशि रुपए 80,000/ उपलब्ध करा दी गई है। वन विभाग के मद मे 16.03.2003 को जमा की जा चुकी है। अग्रिम कार्यवाही वन विभाग से संबंधित है।

5. खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी ।

म.प्र.शासन खनिज साधन विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक –3– 144/95/12/2 दिनांक 18.06.2003 द्वारा खनिपट्टा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है जिसका पालन उपयोगकर्ता द्वारा किया जाएगा ।

6. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जाएगा।

उपयोगकर्ता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत है।

7. प्रत्यावर्तित वन भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही किया जायेगा।

उपयोगकर्ता द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत है।

<u>राज्य शासन द्वारा अधिरोपित शर्तें एवं पालन प्रतिवेदन</u> :–

1. आवेदक संस्थान से यह लिखित वचनपत्र लिया जावे कि भारत शासन/राज्य शासन द्वारा उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो वह उन्हे मान्य होगी।

उपयोगकर्ता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत है।

कृ. प. उ.

2. स्वीकृत खदान के आसपास के 2 किमी. की परिधि के वन क्षेत्र मे उत्खनन नही होने का दायित्व उपयोगर्ता का होगा। यदि आसपास के 2 किमी. के वन क्षेत्र की परिधि मे अवैध उत्खनन होता है, तो उत्खनन की सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिज अधिकारी तथा वन मण्डलाधिकारी को तत्काल लिखित मे की जावेगी , अन्यथा राज्य शासन द्वारा विधिवत कार्यवाही की जावेगी ।

उपयोगकर्ता द्वारा वचनपत्र प्रस्तुत है।

अस्तु उपरोक्तानुसार अधिरोपित शर्तों के पालन मे जानकारी संप्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

Sharad Kumar Bansal
P. O. JAITWARA.
Dt. Satna (M.P.) Pin 485221

प्रतिलिपि (1) वन संरक्षक , वन मंडल सतना (म.प्र.)
(2) उपवनमंडल अधिकारी नागौद ।

प्रा. 20/07/2009

सतना (म.प्र.)

वचन पत्र

भारत सरकार वन विभाग के आदेश क्रमांक – 8 सी/5/435/1977 एफ सी डब्ल्यू/2971 दिनांक 19.12.2002 एवं म.प्र. राज्य शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ – 5/18/97/10/3 दिनांक 05.03.2003 द्वारा आवेदक शरद कुमार बंसल को ग्राम पिपरी टोला के कक्ष क्रमांक 203 पी. रकवा 8.000 हेक्टर वन भूमि (7.972 हेक्टर खनिज उत्खनन हेतु एवं 0.028 हे. निकासी मार्ग हेतु) पर ओकर व्हाइट क्ले एवं लेटराइट खनिज के खनिपट्टा हेतु 10 वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी।

तत्सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा 3.40 हे. वन भूमि समर्पण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक – 8 C/5/435/1997 – FCW/1805 दिनांक 21.07.2009 एवं म.प्र. राज्य शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक – 1948/1693/09/10 – 3/ दिनांक 10.08.2009 द्वारा समर्पण स्वीकार कर (8.00 हे. मे से 3.40 हे.), शेष 4.60 हे. वन भूमि 10 वर्ष के लिए उपयोग पर देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 10.08.2009 मे निर्धारित शर्त की कंडिका 1 के अनुसार वन भूमि का वैधानिक स्वरुप परिवर्तित नही किया जाएगा । कंडिका 8 के अनुसार वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जाएगा । कंडिका 9 के अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही किया जावेगा । कंडिका 10 के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यदि अतिरिक्त अन्य कोई शर्तें लगाई जाती है तो आवेदक उसे मानने को वचन बद्ध है। कंडिका 11 के अनुसार स्वीकृत खदान के आसपास 2 कि.मी. की परिधि मे अवैध उत्खनन नही होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा। 2 कि.मी. की परिधि मे अवैध उत्खनन होता है तो इसकी लिखित सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिअधिकारी एवं वन मंडल अधिकारी को दी जाएगी ।

20 SEP 2009

प्राप्त
20/09/2009
कार्यालय

आवेदक

Sharad Kumar Bansal
P. O. JAITWARA.
Dt. Satna (M.P.) Pin 485221

प्रपत्र - 2

A/c. Payee only

बैंकर्स चेक BANKERS CHEQUE

केवल 6 महीनों के लिए वैध
VALID FOR 6 MONTHS ONLY

रु 50,000 एवं अधिक के लिखतों दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENT FOR RS. 50,000/- AND OVER IS VALID ONLY WHEN SIGNED BY TWO OFFICERS

20/06/2001 19

PAY Divisional Forest Officer Satna -

को या उनके आदेशपर OR ORDER

रुपये RUPEES One lac thirty thousand twenty four only -

रु.Rs. 130024/-

अदा करे

सममूल्य पर देय स्थानिक / PAYABLE AT PAR
अहस्तांतरणीय / NOT TRANSFERABLE

कृते भारतीय स्टेट बैंक
For STATE BANK OF INDIA

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
सतना सिटी 1260
SATNA CITY
☎ /07672/34985

प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता Authorised Signatory

शाखा प्रबंधक Branch Manager

D.60

(हस्ताक्षर नमूना क्र. / S.S.No. B. P. Shrivastava
S.S. No. S-2091)

(हस्ताक्षर नमूना क्र. / S.S.No.)

BC $\frac{00}{013}$ 772321

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जमा राशि

प्रपत्र - 3

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. डी. 594-90-03-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे अनुसूची में उल्लिखित की गई वन भूमि, पर लागू होने की घोषणा इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि, व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जावें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किए जावेंगे.

अनुसूची

जिला—सतना **तहसील—रघुराजनगर** **वन मण्डल—सतना** **वन परिक्षेत्र—मझगवां**

अनु. क्रं. (1)	वन खण्ड का नाम (2)	वन या बंजर भूमि का नाम (3)	खसरा क्रमांक (4)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (5)	सीमाएं (6)
1	नयागांव "स"	राजस्व पड़त भूमि	96/1	8.000	**उत्तर**—ग्राम नयागांव ख. नं. 95 कृत्रिम कटी हुई सीमा लाईन नया मुनारा क्रमांक 1 स से 2स. **पूर्व**—ग्राम नयागांव ख.नं. 96/1 के अंश भाग में कृत्रिम कटी हुई सीमा लाईन नया मुनारा क्रमांक 2स से 3स. **दक्षिण**—ग्राम नयागांव ख.नं. 96/1 के अंश भाग में कृत्रिम कटी हुई सीमा लाईन नया मुनारा क्रमांक 3स से 4स. **पश्चिम**—ग्राम नयागांव नाला का ख.नं. 97 के सीमा पर कृत्रिम कटी हुई सीमा लाईन नया मुनारा क्रमांक 4स से 1स.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. डी. 594-90-2003-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी. 594-90-2003-दस-3 दिनांक 17 फरवरी 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, अपर सचिव.

Bhopal, the 17th February 2003

No. D 594-90-03-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the Provisions of Chapter V of the said Act Applicable to the Forest Land/Waste Land specified in the Schedule below subject to the conditions, that the existing rights of Individuals of communities shall not be abridged or effected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District-Satna **Tahsil—Raghuraj Nagar** **Forest Division—Satna** **ForestRange—Majhgawan (M.P.)**

S.No. (1)	Name of Block (2)	Name of Forest or Waste Land (3)	Khasra No. (4)	Area (in Hects.) (5)	Limits (6)
1.	Nayagawn "C"	Revenue Waste land	96/1	8.000	**North**—Village-Nayagawn Kh. No. 95 & artificial cut line from New Piller No. 1C to 2C. **East**—Village-Nayagawn Kh. No.96/1 part artificial cut line from New Piller No.2C to 3C. **South**—Village-Nayagawn Kh. No. 96/1 Part. artificial cut line from New Piller No.3C to 4C. **West**—Village-Nayagawn Nala Kh. No. 97 artificial cut line from New Piller No.4C to 1C.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Addl. Secy

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र मझगवॉ
क्रमांक 1007 दिनांक 24-9-09
प्रति

वनसंरक्षक
वनमण्डल सतना

बिषय— सतना जिले में लेटराइट व्हाइट क्ले व ओकर के उत्खनन हेतु (8.00हैक्ट0 वनभूमि में से) संशोधित रकवा 4.600 हैक्ट0 वनभूमि उपयोग पर देनें एवं 3.400 हैक्ट0वनभूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार वंशल का प्रस्ताव ।
सन्दर्भ— आपका पत्र कमांक / मा0चि0 / 7946 दिनांक 15.09.2009 ।

---00---

विषयानुसार सन्दर्भित पत्र के पालन में लेख है कि भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन आवेदक श्री शरदकुमार वंशल मुकाम पोष्ट जैतवारा से वचनपत्र सहित प्राप्त कर संलग्न प्रेषित है । साथ ही उक्त वनभूमि 8.000 हैक्टयर में से स्वीकृति रकवा 4.600हैक्ट0 वनभूमि उपयोग पर देनें एवं 3.600 हैक्ट0 वनभूमि समर्पण बावत पृथक करनें बावत मौके पर जाकर दिनांक 19.09.2009 को सीमांकित किया गया तथा ए से लेकर 5 तक चार फीट उॅचे आर0सी0सी0 पिलर बनवाये गये जिसका मौके पर पंचनामा तैयार किया गया जो संलग्न अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है ।

संलग्न—1—मौका पंचनामा एक नग तथा नक्शा दो नग
2—श्री शरद कुमार वंशल का पालन प्रतिवेदन व वचन पत्र सहित

(हस्ताक्षर)
वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्रमझगवॉ

मौका पंचनामा

आज दिनांक 19.09.09 को वनपरिक्षेत्राधिकारी मझगवाँ बीटगार्ड पिपरीटोला एवं अन्य वन स्टाफ के साथ ~~[illegible]~~ जैतवारा परेस्दार एवं अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति मे ग्राम पिपरीटोला रकबा 4.6 हेक्टेयर (निकासी मार्ग सहित) का सीमांकन कार्य किया गया। मौके पर A से लेकर 5 तक चार फुट ऊंचे आर.सी.सी. पिलर बनाये गये, जिसमे पिलर से पिलर की दूरी पिलर नम्बर एवं डिग्री अंकित की गई, मौके पर पंचनामा लिखा गया पढ़कर एवं सुनकर हस्ताक्षर किये गये।

पंचनामा (जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी बीटगार्ड पिपरीटोला द्वारा लिखा गया)

पिलर नम्बर		लाइन	दूरी मीटर	बियरिंग
A	—	—	—	—
B	—	AB	16 मी.	Due east.
C	—	BC	32 मी.	Due North.
1	—	C-1	40m.	Due North.
2	—	1-2	312m.	Due North 70° East
3	—	2-3	119m.	Due North.
4	—	3-4	270m.	S 80° West.
5	—	4-5	48m.	N. 51° West
A	—	5-A	295M.	Due south.

मौका पंचनामा एवं फील्डबुक के अनुसार नक्शा संलग्न है।

[signatures]

R.O. मझगवाँ
19/9/09

बीटगार्ड पिपरीटोला
19.09.09

प्रपत्र -5

सं० CAO 00/056 170341
No.

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
सतना सिटी
SATNA CITY 1260

बैंकर्स चेक
BANKERS CHEQUE

0

दि. / DATE 16.4.03

24985

PAY TO Divisional Forest Officer, Satna. को या उनके आदेशपर OR ORDER

रुपये
RUPEES Eighty Thousand only —

अदा करें. रुपये Rs. 80,000/-

57391

कृते, भारतीय स्टेट बैंक
सतना शाखा

G.1903

मुख्य प्रबंधक

छोटे हस्ताक्षर INITIALS

बही पन्ना सं.
LEDGER FOLIO NO.

खाता सं० ACCOUNT NO.

समतलीकरण हेतु जमा राशि

प्रपत्र-6

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक

क्रमांक 3-144/95/12/2: यह कि आवेदक श्री शरद कुमार बंसल द्वारा जिला सतना के ग्राम पिपरीटोला के 16.840 हेक्टर्स क्षेत्र पर ओकर, व्हाईट क्ले एवं लेटराइट खनिजों का खनिपट्टा स्वीकृत करने के लिए दिनांक 28.12.1994 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

2. यह कि ग्राम पीपरीटोला का आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 11{पी} 12/1क{पी} क्रमशः रकबा 39.70 एकड़ एवं 1.90एकड़ कुल 41.60 एकड़ राज्य शासन वन विभाग की भूमि है । मुख्य वन संरक्षक भू सर्वे एवं वन संरक्षण अधिनियम भोपाल ने ज्ञापन दिनांक 21.11.94 से आवेदक के पक्ष में अनुमति प्रदान की जिसके आधार पर आवेदक श्री शरद कुमार बंसल को विभागीय ज्ञापन क्रमांक 2-283/93/12/2/3 दिनांक 30.9.93 से पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ति स्वीकृत की गई । आवेदक द्वारा क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य किया जाकर यह खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

3. यह कि क्षेत्र वन भूमि है अतः विभागीय ज्ञापन दिनांक 26.9.95 से आवेदक को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार की अनुमति गैर वानिकी कार्य हेतु प्राप्त कर प्रस्तुत करने लिखा गया ।

4. यह कि मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन एफ 5/18/97/10/3 दिनांक 5.3.03 से यह अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा प्रकरण में पत्र दिनांक 19.12.2002 से औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी गई है । अतः भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के अनुसार राज्य शासन द्वारा सतना जिले में लेटराइट, व्हाईट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु आवेदित क्षेत्र में से 8.00 हेक्टर वन भूमि श्री शरद कुमार बंसल को वनेत्तर उपयोग हेतु वन{संरक्षण} अधिनियम 1980 की धारा -2 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

{1} वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

{2} वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर सतना जिले के रघुराजपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम नयागांव के खसरा नंबर-96/1{पार्ट} में 8.00हे0 गैर वन भूमि पर इस पत्र के निर्गत होने के दो वर्ष के अन्दर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

{3} उक्त भूमि आरक्षित/संरक्षित वन घोषित की जा चुकी है ।

(4) उपयोगकर्ता के खर्च पर भूमि पर क्रम संख्या, बियरिंग और खम्बे से खम्बे की दूरी सहित, आर.सी.सी. खम्बो (ऊँचाई 4 फीट) का प्रयोग करते हुये खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा ।

(5) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर खनिज क्षेत्र का समतलीकरण किया जायेगा । खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की ओर व्यवस्थित तरीके से किया जायेगा तथा जिस किसी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाये वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके समतलीकरण कार्य किया जायेगा ।

(6) खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी ।

(7) वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा ।

(8) प्रत्यावर्तित वनभूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।

(9) उपयोगकर्ता से समतलीकरण हेतु राशि रू. 10,000/- प्रति है0 की दर से अग्रिम के रूप में जमा कराया जाये तथा भविष्य में परिगणित होने वाली अन्तर की राशि जमा करने हेतु वचनपत्र प्राप्त किया जाये ।

(10) प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोगकर्ता से निर्धारित प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा कराई जाये ।

(11) स्वीकृत खदान के आसपास के 2.00 कि.मी. की परिधि के वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा । यदि आसपास के 2.00 कि.मी. के वनक्षेत्र की परिधि में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिज अधिकारी तथा वन मंडलाधिकारी को तत्काल लिखित में की जावेगी अन्यथा राज्य शासन द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जावेगी ।

(12) उपयोगकर्ता से यह वचनपत्र लिया जाये कि उपरोक्त शर्तों के अलावा भी यदि भविष्य में मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा वनीकरण/वन संरक्षण के हितों को ध्यान में रखकर कोई अतिरिक्त शर्त लगाई जाती है तो वह उन्हें मान्य होंगी ।

6. यह कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ज्ञाप क्रमांक 8बी/5/435/97-एफसी /78 दिनांक 7.1.2000 से सैद्धान्तिक रूप से आवेदक के प्रकरण में 16.868 हेक्टर वन भूमि को माइनिंग प्लान अनुसार माईनिंग के लिए डायवर्सन की सहमति दर्शाई है ।

7. अतः वन विभाग द्वारा उल्लेखित उपरोक्त शर्तों एवं निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों पर आवेदक के पक्ष में खनिपट्टा स्वीकृत किया जाता है :-

§1§	आवेदक का नाम एवं पता	श्री शरदकुमार बंसल, ग्राम जैतवारा जिला-सतना म.प्र.
§2§	स्वीकृत क्षेत्र का विवरण	जिला-सतना, ग्राम-पिपरीटोला में वन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान 8.000हेक्टेयर क्षेत्र
§3§	खनिज का नाम	ओकर्स, व्हाईट क्ले एवं लेटराइट
§4§	स्वीकृति की अवधि	10§दस§ वर्ष

§5§ थियोडोलाईट सर्वे आदि आवश्यक हो तो किया जावे

यदि आवेदक को उपरोक्त शर्तें मान्य हों तो नियमानुसार जमानत आदि राशि जमा कराई जाकर 6 माह के भीतर अनुबंध का निष्पादन कराया जाकर प्रति विभाग को भेजी जावे ।

अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि आवेदक पर खनि राजस्व की कोई राशि बकाया तो नहीं है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

§डॉ. विक्रम जे. एस. लाम्बा§
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

पृ.क्र. एफ 3-144/95/12/2 भोपाल, दिनांक 18/6/03

प्रतिलिपि-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग की ओर उनके ज्ञा.क्र. एफ-5/18/97/10/3 दिनांक 5.3.03 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

2- डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी धनबाद

3- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. भोपाल

4- कन्ट्रोलर जनरल इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर

5- क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो जबलपुर

6- श्री शरदकुमार बंसल जैतवारा जिला सतना म.प्र.

7- कलेक्टर सतना §म.प्र.§

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

18/6/03
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

प्रपत्र-7

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
''केन्द्रीय पर्यावरण भवन''
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3,Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

शुद्धि पत्र

क्रमांकः 8C/5/435/1997-FCW/ 47, दि0- 06-01-2010,

प्रति,

अपर मुख्य सचिव (वन),
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषयः सतना जिले में लेटराइट, व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खनन हेतु (8.00 हे0 वनभूमि में से) संशोधित औपचारिक अनुमोदन 4.600 हे0 वनभूमि उपयोग पर देने एवं 3.400 हे0 वनभूमि समर्पण हेतु श्री शरद कुमार बंसल के प्रस्ताव बाबत् ।

संदर्भः. 1) इस कार्यालय का औपचारिक अनुमोदन पत्रांक 8सी/435/1997–एफसीडब्ल्यू/2971 दिनांक 19/12/2002
2) अपर प्रधान मु0व0सं0 एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक एफ–1/152/94/10–11/2759 दिनांक 24/12/2008
3) इस कार्यालय का संशोधित औपचारिक अनुमोदन पत्र क्रमांक 8सी/435/1997–एफसीडब्ल्यू/1805 दिनांक 21/7/2009

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक (1) जिसके माध्यम से प्रकरण में 8.00 हे0 का औपचारिक अनुमोदन दिनांक 19/12/2002 को प्रदान किया गया था । नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के संदर्भित पत्र (2) के माध्यम से प्रकरण में 4.600 हे0 वनभूमि उपयोग पर दिये जाने एवं 3.400 हे0 वनभूमि समपर्ण की अनुशंसा उपरांत कार्यालय के संदर्भित पत्र (3) के माध्यम से पुनः संशोधित औपचारिक अनुमोदन जारी किया गया ।

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (3) द्वारा जारी औपचारिक अनुमोदन के बिन्दु संख्या–5 में ''खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी'' के स्थान पर **''खनन पट्टे की अवधि दिनांक 19/12/2002 से 18/12/2012 तक (10 वर्ष) होगी ।''** पढ़ा जाए ।

अन्य शर्ते इस कार्यालय के उपरोक्त औपचारिक अनुमोदन पत्र (3) के अनुसार यथावत् रहेंगी ।

भवदीय,

(सुजॉय बैनर्जी)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः

1. उप सचिव(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध) एवं नोडल अधि0, म0प्र0 वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सतना, जिला–सतना, मध्यप्रदेश ।
4. श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम–जैतवारा, जिला–सतना, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली

05/01/10

(सुजॉय बैनर्जी)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

परिशिष्ट-8

मध्य प्रदेश शासन,वनविभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल,462004

कमांक/ /1693/09/10-3/ भोपाल/दिनांक अगस्त ,2009

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल ।

विषय :- सतना जिले के लेटराइट व्हाइट क्ले व ओकर्स के उत्खन्न हेतु (8.00 है0 वनभूमि में से) संशोधित औपचारिक अनुमोदन 4.600 है0 वनभूमि उपयोग पर देने एंव 3.400 है0 वनभूमि समपर्ण हेतु श्री शरद कुमार बंसल के प्रस्ताव बावत

संदर्भ:- आपकी टीप यू0ओ0 कमांक-375, दिनांक 31.07.2009,एंव इस विभाग की स्वीकृति आदेश कंमाक- एफ-5/18/97/10/3 दिनांक 5.3.2003,

-o-

उपरोकत संदर्भित टीप से प्राप्त प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत इस विभाग के पत्र कंमाक-5/18/97/10-3 ,दिनांक 5.5.1997 से भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय की अनुमति हेतु प्रेषित किया था ,जिसके तारतम्य में केन्द्र शासन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त राज्य शासन व्दारा ज्ञाप कमांक एफ-5/18/97/10-3 दिनांक 05/03/2003 के व्दारा 8.00 हेक्टयर वन भूमि व्यपवर्तन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

आवेदक के व्दारा पुनरीक्षित प्रस्ताव देने पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उनके पत्र कंमाक-8 सी0/5/435/1997 -एफ0 सी0 डब्ल्यू0/1805, दिनांक 21.07.2009 से पुनरीक्षित औपचारिक अनुमति प्रदान की गई है । (छायाप्रति संलग्न है) अतः भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर राज्य शासन द्वारा सतना जिले में लेटराईट व्हाइट क्ले व ओकर्स उत्खन्न हेतु (8.00 है0 वनभूमि में से) संशोधित औपचारिक अनुमोदन 4.600 है0 वनभूमि उपयोग पर देने एंव 3.400 है0 वनभूमि समर्पण हेतु श्री शरद बंसल के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व में राज्य शासन द्वारा पूर्व में

जारी स्वीकृति आदेश कंमाक– एफ–5/18/97/10/3 दिनांक 5.3.2003 को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर सतना जिले के रघुराजपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम–नयागांव के खसरा कंमाक–96/1 (पार्ट) में समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

3. इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित किया जायेगा ।

4. इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा –4 के अन्तर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की जावेगी ।

5. उपयोगकर्ता के व्यय पर भूमि पर कम संख्या ,बियरिंग और खम्भों की दूरी सहित, आर0सी0सी0 खम्भों (ऊँचाई 4 फीट) का प्रयोग करते हुए खनन पट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जावेगा ।

6. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर समतलीकरण किया जावेगा । खनन एक तरफ से एक भाग से दूसरे भाग की और व्यवस्थित तरीके से किया जायेगा , तथा जिस किसी भी भाग में उत्खनन पूर्ण हो जाये, वहां पर जितनी जल्दी हो सके ,समतलीकरण कार्य किया जायेगा , तथा उसका **Reclamation** किया जायेगा ।

7. खनन पट्टे की अवधि 10 वर्ष होगी ।

8. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा

9. प्रत्यावर्तित वनभूमि पर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा ।

10. आवेदक संस्थान से यह लिखित वचन पत्र लिया जाये ,कि भारत शासन/ राज्य शासन द्वारा उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यदि अन्यं कोई शर्त अधिरोपित की जाती है, तो वह उन्हे मान्य होगी ।

11. स्वीकृत खादान के आसपास के 2.00 कि0मी0 की परिधि के वनक्षेत्र में उत्खन्न नहीं होने का दायित्व उपयोगकर्ता का होगा । यदि आसपास के 2.00 कि0मी0 के वनक्षेत्र की परिधि में अवैध उत्खन्न होता है ,तो उत्खन्न की सूचना उपयोगकर्ता द्वारा खनिज अधिकारी तथा वनमण्डलाधिकारी को तत्काल लिखित में की जावेगी , अन्यथा राज्य शासन द्वारा विधिवत कार्यवाही की जावेगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

(रतन पुरवार)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वनविभाग

क्रमांक/1948/1693/09/10–3/ भोपाल/दिनांक 10 अगस्त ,2009

प्रतिलिपिः–

1. सचिव भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय , पर्यावरण भवन सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड़, नई दिल्ली 11003.
2. मुख्य वन संरक्षक (पश्चिम क्षेत्र) भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय क्षेंत्रीय कार्यालय ई–5 रविशंकर नगर भोपाल ।
3. कलेक्टर जिला सतना ।
4. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा ।
5. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सतना म0प्र0 ।
6. श्री शरद कुमार बंसल ग्राम –जैतवारा ,जिला–सतना म0प्र0 ।
7. गार्ड फाईल ।

की और सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

10/8/09
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,वन विभाग